राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांकः एफ 25 (22) परि/कम्प्यू./2012/46770 जयपुर,दिनांकः 22-04-14 23

कार्यालय आदेश संख्या - 12/2014

'वाहन' एवं 'सारथी' परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में निम्न दिशानिर्देश जारी किये जाते है :–

1. वाहन पंजीयन से संबंधित समस्त ऐसी सेवाएं, जो कि वाहन साफ्टवेयर से ही जा रही है, के लिये 'वाहन' साफ्टवेयर के माध्यम से ही केश रिसिप्ट जारी किये जावें। केवल विशेष परिस्थितियों में वाहन साफ्टवेयर से दी जाने वाली सेवाओं के Manual रसीद जारी करने की अन्तिम तिथि 30.4.2014 निर्धारित की जाती है। इसके उपरान्त कोई भी केश रसीद अन्य साफ्टवेयर से जारी किया जाना वर्जित किया जाता है। दिनांक 30.4.2014 तक काटी गई रसीदों पर 15 मई, 2014 तक ही सेवा दी जा सकेगी। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं दी जायेगी एवं इस आदेश की अवेहलना को गंभीरता से लिया जायेगा।

2. स्मार्ट कार्ड के विजिबल रिडेबल जोन (VRZ) में अंकित किये जाने वाले विवरण प्रारूप 23क सी.एम.वी.आर.,1989 के अनुरूप ही प्रिन्ट किया जावेगा। विभागीय आवश्यकताओं का समायोजन सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप भविष्य में परिवर्तन किया जावेगा।

   वर्तमान में स्मार्ट कार्ड आधारित RC में निम्न लेवल के समक्ष डेटा प्रिन्टिंग का प्रावधन नहीं है:–

(अ) परिवहन श्रेणी:–

Front Side		Back Side	
1.	Regd. Validity	1.	Sleeping capacity.
2.	Previous Regn. No.	2.	Axle type Details
3.	Emission Norms		
4.	Kit Cyl No.		

(ब) गैर परिवहन श्रेणी :–

Front Side		Back Side	
1.	Previous Regn. No.		
2.	Emission Norms		
3.	Kit Cyl No.		

3. पंजीकृत वाहन पर एक ही केश रसीद से दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिये केवल एक बार नये स्मार्ट कार्ड के एवज रुपये 200 का शुल्क वसूल किया जावे। प्रत्येक सेवा के अलग से केश रसीद कटाने की स्थिति में रुपये 200 शुल्क वसूल किया जावे। इसी प्रकार मशीन रिडेबल जोन (MRZ) में वाहन साफ्टवेयर से सेवा देने पर परिवर्तन की स्थिति (चिप पर) में पुराने स्मार्ट कार्ड यथावत रहेगे एवं प्रार्थी से विवरण में परिवर्तन की एवज कोई शुल्क चार्ज नहीं किया जायेगा।

4. एन.आई.सी. द्वारा संधारित नेशनल रजिस्टर के पोर्टल vahan.nic.in के व्यापक उपयोग जिसमें वाहन पंजीयन के विवरण, ओ.टी.टी./जमा कर के सत्यापन इत्यादि कार्यालय स्तर पर सत्यापित किये जाने हेतु समस्त अपर परिवहन आयुक्त, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना लोगिन आई.डी. प्राप्त करने की कार्यवाही करें। जिन अधिकारियों के लोगिन आईडी पूर्व में जारी नहीं किये गये है, वे संलग्न आवेदन पत्र भर कर मुख्यालय प्रेषित करें।

5. स्मार्ट कार्ड की प्रक्रिया के तहत विभाग द्वारा 'फ्लेट' फाईल सेवाप्रदाता को प्रिन्टिंग हेतु प्रेषित (Push) किया जाता है। कई कार्यालयों से यह सूचना मिली है कि 'फ्लेट फाईल' के डेटा में manual data entery कर परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे गलत स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट हो जाता है। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में सर्वर द्वारा जनित 'फ्लेट फाईल' में manual editing न किया जावे। यदि संशोधन अपरिहार्य हो तो, वाहन के डेटा फाईल में आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त ही फ्लेट फाईल जनरेट किया जावे।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु समस्त प्रादेशक/जिला परिवहन अधिकारी पूर्ण प्रयास करें। समस्त अपर परिवहन आयुक्त अपने-अपने क्षेत्रों के अधीन आने वाले परिवहन कार्यालयों में स्मार्ट कार्ड योजना के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर निरीक्षण कर समीक्षा करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(मुकेश शर्मा)
परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः एफ 25 (22) परि/कम्प्यू./2012/46771-76 जयपुर,दिनांकः 22-04-14

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव (परिवहन) जयपुर।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण .... ।
4. समस्त अपर परिवहन आयुक्त/प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी........................ ।
5. एनॉलिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को बेवसाईट पर अपडेट करने हेतु प्रेषित है।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)